झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰– 8/ज॰स॰(नि॰) ग्रा॰–08–13/2014 :– राँची, दिनांकः–

आदेश

श्री अनिल कुमार सिंह, तत्॰ सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा (I D- J 8896 कनीय अभियंता कोटि) को मनोहरपुर प्रखण्ड अंतर्गत सोनापीर हेन्देरबुरू में पक्का चेकडैम निर्माण में बरती गयी अनियमितता के आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत उनके विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक 3352 दिनांक 19.05.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री अनिल कुमार सिंह, तत् सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप थेः–

(क) मनोहरपुर प्रखण्ड अंतर्गत सोनापीर हेन्देरबुरू में चेक डैम निर्माण योजना संख्या 343/2008– 09 में अनियमितता।

(ख) योजना का पी॰ सी॰ सी॰ नहीं किया जाना।

(ग) मजदूरी भुगतान में नरेगा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना।

(घ) योजना में फर्जी मापी के आधार पर रूपये 9,02,000/– का गबन।

3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। किन्तु श्री सिंह के उपस्थित नहीं होने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के विरूद्ध उपरोक्त आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) को संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति के साथ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के ज्ञापांक 5532 दिनांक 17.09.2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री अनिल कुमार सिंह का बचाव बयान असंतोषजनक एवं तथ्यों से परे पाया गया। फलतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्री सिंह सहायक अभियंता (चालू प्रभार) से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा को अमान्य करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सेवा से वर्खास्तगी के दण्ड की अनुशंसा की गयी। ग्रामीण

विकास विभाग, झारखण्ड, रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संबंधित मामले की सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया हैः—

(i) श्री अनिल कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्तगी।

(ii) उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उपर्युक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/—
(अरविन्द कुमार)
अभियंता प्रमुख— 1,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः— 4738 /राँची, दिनांकः— 3-9-15

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, रांची/वैयक्तिक दावा कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, कोषागार चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, पाकुड़/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, रांची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, रांची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची/ संयुक्त सचिव, (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चाईबासा/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पाकुड़/ श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्राम— कुरमाडीह, पत्रालय + थाना— शंभूगंज, जिला— बॉका (बिहार)/ वेब इन्फारमेंशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9/15

(अरविन्द कुमार)
अभियंता प्रमुख— 1,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

3/9/15